

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, द्वितीय व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 42ए/2016

संस्थित दिनांक 08.07.2014

1. चैनसिंह पिता चमरुसिंह उम्र 37 वर्ष
जाति गोंड निवासी ग्राम पाथरी (खुमरीटोला)
तहसील बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....वादी

विरुद्ध

1. अमोल पिता अमृतसिंह उम्र 30 वर्ष, जाति गोंड
2. सुखी पिता अमृतसिंह उम्र 25 वर्ष, जाति गोंड
3. प्रताप पिता अमृतसिंह उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड
4. जयसिंह पिता तीतरा उम्र 45 वर्ष जाति गोंड
5. सुरतिबाई पिता प्रताप उम्र 20 वर्ष जाति गोंड
सभी निवासी खुमरीटोला तहसील बैहर
जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।
6. श्रीमान कलेक्टर बालाघाट म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

-:: दिनांक **20.10.2016** को घोषित ::-

01 वादी द्वारा यह वाद वादग्रस्त संपत्ति खसरा नम्बर 145/2ख, 148/2ख, 157/2ख रकबा 3.90 एकड़ मौजा पाथरी प0ह0नं0 31 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा विवादित भूमि को पूर्व खातेदार कवलसिंह पिता झडी जाति गोंड निवासी पाथरी खुमरीटोला से 60,000/- (साठ हजार) रुपये में क्रय कर राशि अदा कर दिनांक 09.09.2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर भूमि कब्जा एवं मालिकी कवलसिंह से प्राप्त किया गया है। तदुपरांत से वादी उक्त भूमि पर भूमि स्वामी हक रखकर काबिज मालिक चला आया और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान की फसल लगाया है। परंतु दिनांक 26.06.2014 को प्रातः दस बजे प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने की बदनियत रखते हुए विवादित भूमि पर आये और

बोले कि यह जमीन हमारी है। तुम कैसे जोत रहे हो। जिसके पश्चात वादी द्वारा जमीन की खरीदी के संबंध में कथन करने पर उक्त प्रतिवादीगण मारपीट पर आमादा हुये और जाते-जाते यह धमकी देने लगे कि कभी भी आकर उक्त भूमि पर कब्जा कर लेंगे और बीच में आने पर जान से मार डालेंगे। उक्त प्रतिवादीगण की धमकी से वादी को वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादीगण के अवैध कब्जे की आशंका है। जिस हेतु उक्त प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित करने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत है।

03. प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 05 तथा उसकी बहन हेमकुंवरबाई के हक मालिकी एवं कब्जे की है। उक्त भूमि मूल पुरुष झडी द्वारा बनायी गयी है। जिसके दो पुत्र कवलसिंह एवं कोमलसिंह थे। कोमलसिंह के दो पुत्र जीतलाल और राधेलाल थे जो कोमलसिंह की मृत्यु के पश्चात कुंवारे ही फौत हो गये हैं। पुत्री मीराबाई का नाम कवलसिंह के साथ राजस्व प्रलेखों में दर्ज रहा जिसकी मृत्यु के समय प्रतिवादी क्रमांक 05 सुरतीबाई तथा हेमकुंवरबाई नाबालिग थीं। प्रतिवादी क्रमांक 05 तथा हेमकुंवरबाई के बालिग होने पर कवलसिंह ने उन्हें विवादित भूमि का बटवारा कर कमाने खाने दिया जिसपर हेमकुंवरबाई एवं सुरतीबाई लड़कियां होने के कारण अपने पिता प्रताप व अमोल, सुखी तथा जयसिंह से कास्त करवाकर फसल प्राप्त करते हैं।

04. वादी ने उक्त विवादित भूमि कवलसिंह से साठगांठ कर चोरी छिपे खरीदकर पंजीयन करवाकर अपना नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवा लिया है। जबकि उक्त भूमि पर कवलसिंह का कोई कब्जा व जोत नहीं था और न ही वर्तमान में वादी का कब्जा है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं हेमकुंवरबाई का कब्जा है जिनके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 04 द्वारा धान की बुवाई करवायी गयी है जो कि काटने लायक हो चुकी है। वादी अपना नाम दर्ज करने का फायदा उठाने के लिए झूठा दावा न्यायालय में पेश किये हैं जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्यथा प्रतिवादी क्रमांक 05 एवं उसकी बहन हेमकुंवरबाई को अपने बटवारे वाली भूमि से हाथ धोना पड़ेगा।

05. उभयपक्ष द्वारा किये गये अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा वादप्रश्न की विरचना की गयी जिसके समक्ष साक्ष्य का विश्लेषण उपरांत मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

क 0	अवधारणीय प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा पाथरी प0ह0नं0 31 रा.नि.मं. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 145/2ख, 148/2ख, 157/2ख कुल रकबा 3.90 एकड़ भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	“ प्रमाणित ”
2	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका “10” के अनुसार वाद डिक्री

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

06. वादपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए चैनसिंह (वा0सा01) का कथन है कि उसने वादग्रस्त भूमि पूर्व खातेदार कवलसिंह से 60,000/(साठ हजार) रुपये में क़य कर राशि अदा कर दिनांक 09.09.2013 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाया और भूमि का कब्जा एवं मालिकी कवलसिंह प्राप्त कर धान की फसल लगाते चला आ रहा है। इस वर्ष भी उसके द्वारा धान की फसल जुताई कर धान का रोपा खार लगाया है जो पूर्ण होकर परहा लगाने के लायक हो चुकी है। परंतु प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 05 द्वारा उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने की बदनियत रखते हुए दिनांक 26.06.2014 को प्रातः 10:00 बजे उक्त भूमि पर आकर बोले कि जमीन जनकी है वह कैसे जोत रहा है। तब उसके द्वारा कवलसिंह से जमीन खरीदी के संबंध में कथन करने पर प्रतिवादीगण रजिस्ट्री को मानने से इंकार कर मारपीट पर अमादा हुये और जाते-जाते यह धमकी देने लगे कि कभी भी आकर भूमि पर कब्जा कर लेंगे और बीच में आने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

07. चैनसिंह (वा0सा01) के अनुसार प्रतिवादीगण की उक्त धमकी से उसे अंदेशा उत्पन्न हो गया कि वे लोग कभी भी उक्त भूमि पर

जबरन प्रवेश कर भूमि का कब्जा कर लेंगे। साक्षी ने वाद के समर्थन में विवादित भूमि का पांच साला खसरा की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी01, भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका की मूल प्रति प्र.पी02 एवं विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2013 की मूल प्रति प्र.पी03 पेश की है।

08. प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचन में यह स्वीकार किया है कि वादी द्वारा कय पश्चात वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में स्वयं का नाम दर्ज करा लिया गया है। तथापि उनकी यह आपत्ति है कि उसने उक्त भूमि चोरी छिपे साठगांठ कर खरीदी है तथा विवादित भूमि पर कभी भी कवलसिंह एवं वादी का कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2013-14 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी01 से वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का भूमि स्वामी के रूप में आधिपत्य दर्शित है। जिसकी पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी02 तथा प्र.पी03 से होती है। चैनसिंह(वा0सा01) से प्रतिपरीक्षण में कब्जा के संबंध में कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किये गये हैं और न ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को चुनौती दी गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी साक्ष्य तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य दर्शित हो। मात्र मौखिक अभिवचन के आधार यह नहीं कहा जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य है। अपितु वादी साक्ष्य वादग्रस्त भूमि उनके आधिपत्य के संबंध में अखण्डनीय है। उपरोक्त विवेचना से यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के आधिपत्य की है।

09. वादी के अनुसार प्रतिवादीगण दिनांक 26.06.2014 को प्रातः 10:00 बजे वादग्रस्त भूमि पर आकर उसके स्वामित्व से इंकार कर धमकी देकर आये कि वे लोग कभी भी आकर भूमि पर कब्जा कर लेंगे। वादी के आधिपत्य में हस्ताक्षेप के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा कोई विशिष्ट चुनौती नहीं दी गयी है। अपितु उनका यह अभिवचन है कि वादग्रस्त भूमि उनके आधिपत्य की है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य प्रमाणित नहीं है प्रतिवादीगण के अभिवचन तथा आचरण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य के अधिकार को आसन्न खतरा है और उक्त खतरे को निवारित नहीं किया गया तो भविष्य में वादी को रिष्टि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसकी पूर्ति अन्य साधनों द्वारा संभव नहीं है। फलतः यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्ताक्षेप करने हेतु प्रयास रत है।

10. परिणाम स्वरूप वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त संपत्ति खसरा नम्बर 145/2ख, 148/2ख, 157/2ख रकबा 3.90 एकड़ मौजा पाथरी प0ह0नं0 31 रा.नि.म. भण्डेरी तहसील बैहर जिला बालाघाट पर वादी के आधिपत्य में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हस्तक्षेप करने हेतु स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।
11. वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।
12. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी न्यून हो देय होगा।
13. तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक 20.10.2016

स्थान — बैहर म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग—दो

बैहर बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)